सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बजरंगपुरा)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 118 / 2017 **दायर तारीख :– 11.12.2017**

भूपेन्द्र उर्फ भोमाराम पुत्र अर्जुन कौम माली निवासी आंतेला तहसील विराटनगर, जिला जयपुर। **—— प्रार्थी**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

—— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित : श्री अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 09.05.2018

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम गांधीनगर के खसरा नम्बर 3924/2907 रकबा 0.14 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी भूमि है, जो प्रार्थी को विरासत से प्राप्त हुई है। प्रार्थी के पिता अर्जुन के फौत होने पश्चात विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम भोमाराम दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड सहित अन्य समस्त जरूरी रिकार्ड में भूपेन्द्र अंकित है। अतः निवेदन है कि ग्राम गांधीनगर के खसरा नम्बर 3924/2907 रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि में दर्ज प्रार्थी का नाम भोमाराम पुत्र अर्जुन कौम माली के बजाय भूपेन्द्र पुत्र अर्जुन कौम माली के नाम दुरूस्ती आदेश फरमाने की कृपा फरमावें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 72 संवत 2071–2074, नकल नक्शा ट्रेस, फोटोप्रति भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र RJ/07/055/024104, फोटोप्रति भारत सरकार आधार कार्ड 678201396583, फोटोप्रति परिवार राशन कार्ड 007915101417, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र अर्जुन, आयकर विभाग कार्ड, विद्युत उपभोग बिल, ड्राईविंग लाईसेंस आदि पेश किये गये।

4. प्रकरण राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट आंतेला में वास्ते सुनवाई पेश हुई। प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। ग्राम गांधीनगर के खसरा नम्बर 3924/2907/0.14 हैक्टेयर की खातेदारी भोमाराम पुत्र अर्जुनलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रार्थी को उक्त आराजी मृतक अर्जुन से विरासतन प्राप्त हुई, जिसका नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम भुपेन्द्र की जगह भोमाराम दर्ज कर दिया गया है, जो काबिल दुरूस्ती है। मृतक अर्जुन के प्रार्थी भुपेन्द्र के अलावा भोमाराम नाम का अन्य कोई पुत्र नहीं है। प्रार्थी के आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड, निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र एवं अन्य सरकारी कागजात में भूपेन्द्र पुत्र अर्जुन नाम अंकित है। प्रार्थी की आराजी में प्रार्थी का नाम भूपेन्द्र की जगह उसका घर पर पुकारे जाने वाला भोमाराम नाम ही अंकित हो गया, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी रिकार्ड में भूपेन्द्र नाम ही अंकित है।
इसके संबंध में यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जमाबन्दी में दर्ज खातेदारी में नाम दोनो पृथक–पृथक है। यदि किसी कदर प्रार्थी का नाम खातेदारी भूमि में गलत दर्ज हुआ है, तो वह जरिए नामान्तकरण दर्ज हुआ है, न कि किसी लिपकीय त्रुटि से दर्ज है, जिसे प्रार्थी स्वयं ने अपने अभिकथना में स्वीकार किया है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा को लिपकीय त्रुटि संशोधन तथा सम्मान जनक नाम संसोधन की अधिकारिता है, पूर्व से दर्ज खातेदारी नाम को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायसंगत पाता हूॅ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम निर्धारित प्रावधानों की पूर्ति नहीं करने से खारिज किया जाता है।

आदेश मजमा–ए–आम दिनांक 09.05.2018 को कैम्प कोर्ट आंतेला में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर